न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष: एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील 2200—एक / 13 विरुद्ध आदेश दिनांक 12-3-13 पारित द्वारा एडीशनल कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण क्रमांक 513 / बी—121 / 10—11.

मेसर्स जय भवानी मिनरल्स,
जयंत नगर पिपरौध जिला कटनी
द्वारा प्रोपराईटर अश्विनी कुमार गौतम ——— अपीलार्थी

विरूद्ध

1— मध्यप्रदेश शासन द्वारा
कलेक्टर, कटनी म.प्र.

2— अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ——— उत्तरवादीगण

श्री ए.के. गौतम, अधिवक्ता अपीलार्थी ।

: आदेश :

(आज दिनांक ... को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 513 / बी—121 / 10—11 में पारित आदेश दिनांक 12--3-13 से असंतुष्ट होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (2) के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय (कलेक्टर, कटनी) के समक्ष एक आवेदन दिनांक 13.3.09 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके पक्ष में म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा ग्राम अमोच स्थित भूमि ख0न0 36 रकबा 29.40 हैक्टर पर पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति एवं सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है तथा अपीलार्थी द्वारा मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में निर्धारित पंजीयन शुल्क एवं संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन करा लिया है । जिसका पंजीयन क्रमांक 09 / केटीएन / एमएमएन / 2009-95 है । मुख्य वन संरक्षक द्वारा अपीलार्थी को निर्देशित

किया गया है कि आवेदक जिलाध्यक्ष कटनी से संपर्क कर वैकल्पिक भूमि उपलब्ध होने पर वन मंडल अधिकारी, कटनी में अभिलेख प्रस्तुत करें । उक्त पत्र के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 196/बी–121/08–09 पर दर्ज कर नायब तहसीलदार से जांच प्रतिवेदन आहूत किया गया । नायब तहसीलदार ने अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदन विचारण न्यायालय को भेजा गया । तदुपरांत कलेक्टर, कटनी द्वारा दिनांक 03.7.09 को अधीनस्थ न्यायालयों के प्रतिवेदन से सहमत होने का उल्लेख करते हुए वनमंडलाधिकारी को क्षतिपूर्ति वर्गीकरण हेतु भूमि उपलब्ध कराए जाने का पत्र जारी करने का आदेश दिया गया । किंतु बाद में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16–7–09 को पूर्ववर्ती पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–7–09 के पुनरावलोकन हेतु इस न्यायालय से पुनरावलोकन की अनुमति चाही गई, जिस पर से इस न्यायालय द्वारा प्र0क 107–दो/09 में पारित आदेश दिनांक 20.5.10 के द्वारा पुनरावलोकन की अनुमति सशर्त प्रदान की गई । अनुमति प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा पुनः उक्त प्रकरण की सुनवाई प्रारंभ की गई तथा प्रकरण में अंतिम आदेश दिनांक 8.2.11 को पारित किया गया जिसमे दिनांक 3.7.09 को पारित आदेश निरस्त किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील की गई ।

3/ अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा ग्राम अमोच तहसील बहोरीबंद स्थित भूमि ख0नं 86 रकबा 29.40 हैक्टर जो राजस्व अभिलेखों में राजस्व वन भूमि के रूप में दर्ज है, पर अपीलार्थी को क्लेलेटराईट खनिज के उत्खनन की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति एवं सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई थी । जिस आधार पर अपीलार्थी द्वारा मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में पंजीयन कराया गया जिस पर से मुख्य वन संरक्षक द्वारा अपीलार्थी को जिलाध्यक्ष कटनी से संपर्क कर ग्राम अमोच तहसील बहोरीबंद जिला कटनी स्थित भूमि ख.न. 86 रकबा 28.40 हैक्टर राजस्व वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराने का कहा गया । उक्त पत्र के आधार पर अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक ...3–09 को आवेदन पत्र पेश निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को ग्राम अमोच तहसील बहोरीबंद जिला कटनी स्थित भूमि ख.नं. 86 रकबा 28.40 हैक्टर पर म.प्र. खनिज साधन विभाग द्वारा क्ले लेटराईट खनिज का

उत्खनन हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है । उक्त भूमि राजस्व वन भूमि है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के समतल्य गैर वन भूमि वन विभाग को प्रदान की जाये । इस आवेदन पर विचारण न्यायालय द्वारा तहसील न्यायालय से प्रतिवेदन बुलाया गया जिस पर नायब तहसीलदार, बिलहरी एवं अनुविभागीय अधिकारी कटनी द्वारा अपनी सहमति दी गई थी जिस आधार पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 3–7–10 को आदेश पारित किया था, जो विधि अनुसार सही था और इस आदेश का निरस्त करने में जिलाध्यक्ष द्वारा त्रुटि की गई है ।

यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा जिन आधारों पर इस न्यायालय से पुनरावलोकन की अनुमति प्राप्त की गई है उनके संबंध में बिना जांच एवं साक्ष्य के आदेश पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की गई है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को निरस्त करने तथा विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 3–7–09 को स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ उत्तरवादी शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

5/ अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा आलोच्य आदेशों का परिशीलन किया गया । आवेदक की ओर से कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन को देखने से परिलक्षित होता है कि उसके द्वारा गैर वन भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गई है । इस संबंध में कलेक्टर की आदेश पत्रिका दिनांक 18–1–11 द्वारा कलेक्टर ने आवेदक से शासकीय भूमि को निजी व्यक्ति को उपलब्ध कराने के संबंध में राज्य शासन के निर्देशों की मांग की गई थी परंतु आवेदक द्वारा शासन निर्देशों की कोई प्रति कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई । यदि आवेदक का उद्धेश्य वन विभाग को भूमि आवंटित करने का था तब उसे इसी आशय का आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था कि वन विभाग को भूमि उपलब्ध कराई जाये परंतु उसके द्वारा आवेदन पत्र में यह नहीं कहा गया है कि वन विभाग को भूमि उपलब्ध कराई जाये बल्कि यह उल्लेख किया है कि कटनी जिले में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य भूमि उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करें । अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में विवादित भूमि आवेदक को दिये जाने पर ग्रामवासियों को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न होने का उल्लेख किया गया है की पुष्टि ।

कोई प्रमाण अभिलेख में नहीं है अर्थात न तो ग्रामपचायत ग्रामसभा का प्रस्ताव है और ना ही इश्तहार का प्रकाशन किया जाना अभिलेख से पाया जाता है । किस आधार पर ग्रामवासियों को बाधा उत्पन्न न होने का उल्लेख किया गया है, इसका कोई आधार अभिलेख में नहीं है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवेदन देने से पूर्व तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का स्थल निरीक्षण भी नहीं किया गया है दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में कलेक्टर द्वारा अपर पूर्वाधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने में पूर्णतया विधिसम्मत कार्यवाही की गई है । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है उनके द्वारा कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील निरस्त की जाती है तथा कलेक्टर कटनी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से स्थिर रखे जाते हैं ।

(एम. के सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
जबलपुर